08 नवंबर, 2019 को गोवा विधान सभा में संबोधन

सबसे पहले मैं गोवा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मानित सभा में आप सबसे बातचीत करने का अवसर दिया। लोकसभा अध्यक्ष का पद भार ग्रहण करने के पश्चात गोवा की यह मेरी पहली यात्रा है। इसलिए आज का यह आयोजन मेरे लिए और भी ख़ास है।

साथियो, इस प्रतिष्ठित सभा में आकर मुझे श्री मनोहर पर्रिकर जी की याद आ रही है। भले ही वे हमें असमय छोड़ कर चले गए, पर उनकी सुनहरी यादें और उनके द्वारा किये गए राष्ट्र निर्माण के महान कार्य हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक वरिष्ठ नेता और समर्पित जमीनी कार्यकर्ता होने के साथ-साथ उन्होंने हमेशा सादगी की एक मिसाल कायम की है।

सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में साकार किया था। वे एक कुशल प्रशासक और जनकल्याण के प्रति समर्पित राजनेता थे। अपनी अडिग निष्ठा और विनम्रता के गुणों के कारण वे सदैव हमारी भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

मित्रो, गोवा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है। पर इसके बावजूद पर्यटन, व्यापार, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत के कारण गोवा भारत माता के मुकुट का चमकता हीरा है। गोवा ने विगत वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और एक प्रगतिशील व समृद्ध राज्य के रूप में उभरा है। हम सभी जानते है कि गोवा भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है – सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की दृष्टि से भी और सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भी।

साथियो, गोवा के सौंदर्य, समृद्धि और महत्व के कारण ही इसे 'पर्ल ऑफ द ओरिएंट' कहा जाता है। गोवा प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र के तटों, झरनों, उत्सव और त्यौहारों, वाटर स्पोर्टस, स्वादिष्ट भोजन, भव्य वास्तुकला वाले भवनों से समृद्ध है। गोवा की भूमि जीवन के प्रति उत्सव , आनंद और उल्लास के दृष्टिकोण से देखना सीखाती है ।

साथियो, गोवा की उन्नति और समृद्धि यहां के जन प्रतिनिधियों और यहां की सरकारों के निरन्तर प्रयासों और कठोर परिश्रम से ही सम्भव हो पाया है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं संस्था का भी सकारात्मक योगदान है।

यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है। भारत में भाषायी, धार्मिक और अन्य कई तरह की विविधताएं है। लेकिन हमने परस्पर विरोधी विचार और मांगों के बीच तालमेल स्थापित करना और भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का सम्मान करना सीख लिया है।

आज के वैश्विकृत विश्व में लोगों की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उनका प्रतिनिधि होने के नाते हम से उम्मीद की जाती है कि हम उनकी भावनाओं और उनके विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करें। इसके अलावा हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में कई लोग अभी भी अत्यंत गरीबी और उपेक्षित दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

हमारी वास्तविक चुनौती अपने आर्थिक विकास को समावेशी बनाना है। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी लोगों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों की खुशहाली के लिए निरंतर प्रयास करते रहें तथा इस दिशा में नए-नए लोकतांत्रिक प्रयोग करते रहे।

मित्रो, जनप्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित होना अत्यंत सम्मान का विषय है। लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। सार्वजनिक जीवन के अपने चार दशकों के मेरे अनुभव के आधार पर, मैं आपको बता सकता हूँ कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ होता है। ये चुनौतियां पार्टी, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और राज्य की मांगों से उत्पन्न होती है।

हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने लोगों विशेषकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं और सरोकारों के प्रति सदैव संवेदनशील और उत्तरदायी बने रहें। सच कहा जाए तो प्रत्येक जन प्रतिनिधि सरकार और लोगों के बीच एक सेतु का भी कार्य करता है।

मैं यहाँ इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि एक विधायक का सभा में प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के सरोकारों और आकांक्षाओं से किस हद तक जुड़ा हुआ है और इन्हें सभा में किस पुरजोर तरीके से उठाता है।

माननीय सदस्यों, किसी देश या राज्य की विधायिका वहाँ की जनता के स्वप्नों तथा आकांक्षाओं का मूर्तिमान स्वरूप होती है। आप जनता के प्रतिनिधियों के रूप में इस सदन के सदस्य हैं। इसलिए आप इस सदन में राज्य की जनता जनार्दन की आवाज़ हैं।

आपके माध्यम से ही यहाँ की जनता के स्वप्न, आकांक्षाएं, कष्ट, पीड़ाएं, समस्याएं आदि अभिव्यक्त होंगी। लेकिन यह सब कैसे संभव होगा? यह सब तभी संभव होगा जब आप जनता से निरंतर सम्पर्क और संवाद करते रहेंगे।

मैं पुरज़ोर रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सदस्यों को समाज और राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में जन-जागरूकता उतपन्न करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उदाहरण के लिए, निरक्षरता, पर्यावरण संकट, जल संरक्षण, वनों की कटाई, बाल श्रम, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, जातिवाद, और सांप्रदायिकता आदि जैसे विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक बनाकर, हम इन विषयों संबंधी चुनौतियों और इनके समाधानों के प्रति लोगों की सोच को बदल सकते हैं।

इसके साथ ही, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आज के भूमण्डलीकरण के युग में प्रत्येक क्षेत्र की नियति पूरे राष्ट्र एवं विश्व के साथ जुड़ गई है। ऐसे में गोवा के विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए आपको देश -विदेश के मुद्दों एवं घटनाक्रमों से अवगत रहना होगा और अपनी जानकारी के कोष को निरंतर अपडेट करते रहना होगा।

माननीय सदस्यों , जैसा कि मैंने कहा, आप इस सदन में जनता-जनार्दन की आवाज़ के रूप में कार्य करते हैं। किन्तु इस भूमिका के निर्वाह के लिए आप सब को लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सदन की प्रक्रिया और कार्यवाही संचालन के नियमों तथा संसदीय परम्पराओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तब ही आप सदन की कार्यवाही में प्रभावकारी एवं सकारात्मक ढंग से भाग ले पाएंगे।

इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप विधानसभा की प्रक्रियाओं और कार्य संचालन के नियमों को समुचित ढंग से आत्मसात करें। इन संसदीय प्रक्रियाओं और उपकरणों का उद्देश्य विधायिकाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके लिए आपके पास प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे उपकरण उपलब्ध हैं। इन प्रक्रियाओं तथा उपकरणों के माध्यम से आप इस सदन में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर सकेंगे।

मित्रो, भले ही कोई विधायक पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन विकास और जन कल्याण के कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे निपटने के लिए हमें अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनता और देश के हित के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

माननीय सदस्यों, इस संदर्भ में अनुशासन प्रियता भी महत्वपूर्ण है। वस्तुतः, सभी सदस्यों को सदन में अनुशासित होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अनुशासित होने पर ही सदन की कार्यवाही सुचारु एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकती है।

मेरा मानना है कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको है और असहमति को पर्याप्त स्थान भी दिया जाना चाहिए। किन्तु साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि असहमति की अभिव्यक्ति अनुशासित ढंग से संसदीय नियमों के अनुरूप हो। असहमति को किसी भी हाल में सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने एवं सदन के अनुशासन और गरिमा को धूमिल करने का ज़रा भी अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

हमारे संवैधानिक ढांचे में सदन का अध्यक्ष, सदन की गरिमा और शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। इसलिए सदस्यों को अध्यक्षीय पीठ के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर प्रदर्शित करना चाहिए।

जैसा कि आप सब जानते हैं, पीठासीन अधिकारी सभा मे सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। अध्यक्ष पीठ का प्रयास रहता है कि वह नियमों, पूर्व-स्थापित परिपाटियों और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए सदन को चलाए। अध्यक्ष पीठ सदन की गरिमा का प्रतीक होता है और इसलिए यह आवश्यक है कि सभा का हर सदस्य पीठासीन अधिकारी को यथोचित सम्मान दे। विधानमंडल का कारोबार सुचारु और कारगर रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष पीठ को समूचे सदन का पूरा सहयोग चाहिए।

मैं स्वयं को इस संबंध में भाग्यशाली मानता हूँ। अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के दिन से ही मुझे सभी दलो और राजनीतिक विचारधाराओं के सदस्यों का समर्थन और सहयोग मिला है। इस सहयोग के कारण सदन के बहुमूल्य समय का अधिक से अधिक सार्थक उपयोग किया जा रहा है।

वास्तव में 1952 के बाद से सदन में सबसे अधिक काम 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में हुआ था। इस सत्र में कुल 280 घंटों चलने वाली सदन की 37 बैठकें हुईं, जिनमें 36 विधेयक पारित हुए और लोक सभा में 33 विधेयक लाये गए। पारित विधेयकों में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जैसे कुछ ऐतिहासिक विधेयक शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी मुझे अपने साथी सांसदों से इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

साथियो, हमारी संसद और अन्य विधायी संस्थाओं का गौरव इसी बात से है कि वे विश्व के सबसे बड़े सफल लोकतंत्र के प्रतिनिधि निकायों में गिनी जाती हैं। इसलिए, संसद और विधान सभाओं में वाद विवाद की

विषयवस्तु और गुणवत्ता हमारी प्रतिष्ठा और हमारे प्रतिनिधि होने के अनुरूप ही स्तरीय होनी चाहिए। जनता के प्रतिनिधि को यह शोभा नहीं देता कि वह अभद्र आचरण अपनाए या असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करे।

सदन में विधायकों के निरंकुश व्यवहार से जनता को ग़लत संदेश मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कई विधायी निकायों की कार्यवाही का अब सीधा प्रसारण होने लगा है। इसलिए यदि विधानमंडलों का कामकाज बार-बार स्थगित किए जाने से बाधित होता है, तो यह हमारी छवि को खराब करेगा। ऐसी घटनाएं आम तौर पर समाज के मानस पटल पर और सोशल मीडिया के इस समय में विशेषरूप से युवाओं के मन में हमारी खराब छवि बनाती है। इससे हमारी प्रतिनिधि संस्थाओं की छवि भी धूमिल होती है। अतः, सभी जन प्रतिनिधियों को भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए।

साथियो, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी में हर दिन हो रहे परिवर्तनों के कारण आज शासन की प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया है। इसके साथ- साथ, सामाजिक- आर्थिक विकास के कारण नई प्रकार की जटिल चुनौतियां और समस्याएं भी सामने आ रही है। पर्यावरण का संकट इनमें सबसे प्रमुख है। आज की जनता भी अधिक जागरूक हो गई है। इन सब कारणों से शासन का कार्यभार अत्यंत जटिल एवं श्रमसाध्य हो गया है। ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था को उत्तरोत्तर जन केंद्रित, पारदर्शी एवं जवाबदेह होना चाहिए। और, इस उद्देश्य की पूर्ति में नई प्रौद्योगिकी हमारे लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है

साथियो, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमें इस युग में प्रभावकारी एवं प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। साथ ही, हमें उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का प्रतिबद्धता पूर्वक अधिकाधिक प्रयोग करना होगा।

वस्तुतः, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल भारत का अभियान आज क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। शासन के संस्थानों व प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से कार्यों की गति में तेज़ी आयी है और समय एवं धन की बचत हो रही है। इसके साथ ही, शासन में पारदर्शिता आयी है और जन भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। काग़ज़ की बचत से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

मुझे आप सबको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने भारतीय संसद में भी विभिन्न प्रकार से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हमने सांसदों की सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं।

सभी प्रकार के दस्तावेजों, प्रक्रियाओं आदि को डिजिटल कृत किया जा रहा है। प्रश्न सूची, कार्यवाही सूची, लोक सभा बुलेटिन, आदि को भी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। लोकसभा सचिवालय ने सभी सांसदों के लिए ई- रीडर उपकरणों की सुविधा भी उपलब्ध करायी है। इसके साथ ही, फ़ाइल ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ़्टवेयर को भी विकसित किया गया है और लोक सभा सचिवालय की विभिन्न शाखाएं इसका उपयोग कर रही हैं।

इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि देश में शासन की प्रक्रियाओं और संस्थाओं का डिजिटलीकरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है । इस महाभियान का उद्देश्य लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बढ़ाना है तथा पारदर्शिता और जवाब देही में वृद्धि करना है। इससे शासन तक जनता की पहुँच में भी वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी अनुकूल है तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अतुलनीय योगदान करती है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोवा विधान सभा भी शीघ्र ही सदन की कार्यवाही में शामिल सभी प्रक्रियाओं; सदन की समितियों एवं सचिवालय की सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित अथवा डिजिटलीकृत करेगी।

अंत में, मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहूंगा। लोक सभा सचिवालय का संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड), तीन दशकों से भी अधिक समय से संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। उसकी गिनती आज विश्व के उत्कृष्ट संसदीय प्रशिक्षण संस्थाओं में की जाती है।

प्राइड का एक महत्वपूर्ण कार्य सदस्यों को संसद की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा हमारी संसदीय संस्थाओं की कार्यशैली से परिचित कराना है। इसके साथ ही यह हमारे प्रतिष्ठित सांसदों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है जहां वे अपने समृद्ध और विविध अनुभवों को साझा कर सकें।

इसलिए, मैं यह देखकर खुश हूँ कि इस विधान सभा के सचिवालय के कुछ अधिकारी और गोवा विधानसभा में आने के लिए अधिकृत संवाददाता, प्राइड द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण और पूर्व में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि निकट भविष्य में गोवा विधान सभा के सदस्य इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए लोक सभा सचिवालय में आएं।

इसके साथ ही, मैं आपके सभी भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

———